न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 118 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 193

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अब्दुल समद पुत्र अनिसुर रहमान सिद्दिकी 2.अब्दुल्लाह पुत्र अनिसुर रहमान सिद्दिकी 3.मोहम्मद शफी पुत्र अनिसुर रहमान सिद्दिकी 4.हुसैन पुत्र अनिसुर रहमान सिद्दिकी 5.रूबीना पत्नी हसन सिद्दीकी 6.अब्दुल हनान पुत्र हसन सिद्दिकी 7.सबा पुत्री सिद्दिकी जाति मुसलमान निवासी मुम्बई हाल सिणधरी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थिति</u>–

1. श्री लाधूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>आदेश</u>

दिनांक 23.07.24

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1587 / 693 क्षेत्रफल 0.5908 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर नियमानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नक्शा ट्रेस माफिक राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) अनुसार तरमीम हो रखी थी,लेकिन आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौरान उक्त की तरमीम रेकर्ड स्थिति के विपरीत करते हुए नक्शे में कम रकबा तरमीम की दी गई,जो कि अशुद्ध तरमीम की है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का वर्तमान (आन–लाईन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

नक्शा में हो रखी तरमीम को निरस्त किया जाकर तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया।

3.हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1587/693 क्षेत्रफल 0.5908 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पूर्व में नक्शा ट्रेस में भी माफिक राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) अनुसार तरमीम हो रखी थी,लेकिन आन–लाईन सेग्रीगेशन कार्य के दौराने विवादित आराजी की तरमीम रेकर्ड स्थिति के विपरीत करते हुए नक्शे में कम रकबा तरमीम की दी गई,जो कि अशुद्ध तरमीम की गई हैं। जबकि तहसीलदार पचपदरा ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की भू नक्शा में गलत तरमीम हो रखी है। अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी की वर्तमान भू नक्शा में गलत हो रखी तरमीम को निरस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस मुताबिक तरमीम दुरस्ती की जाती जावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी की वर्तमान भू नक्शा में मौका स्थिति के विपरीत तरमीम हो रखी है,जो रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि हल्का पटवारी जसोल द्वारा जारी नक्शा ट्रेस प्रति दिनांक 19.3.2024 एवं वर्तमान भू नक्शा प्रति अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान भू नक्शा में तरमीम विपरीत हो रखी है। जिसे विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब में स्वीकार किया है कि विवादित आराजी की खसरा संख्या 1587/692 के राजस्व लटढा ट्रेस में दर्ज तरमीम व भू नक्शा मैप पर दर्ज तरमीम की आकृति व आकार दोनो में भिन्नता है तथा प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर लटढा ट्रेस पर दर्ज तरमीम के मुताबिक ही है। भू–नक्शा पोर्टल पर नक्शे में लटढा ट्रेस के अनुरूप ही तरमीम किया जाना उचित बताया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम गलत हो रखी है,जो तरमीम दुरूस्ती योग्य है। प्रार्थीगण ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.उपरोक्त विवेचन के उप[illegible] निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने के हकदार [illegible] में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1587/692 क्षेत्रफल 0.5908 हैक्टयर भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर हल्का पटवारी जसोल द्वारा दिनांक 19.3.2024 को जारी लटढा नक्शा प्रति मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त लटढा नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.7.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner